"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013—माघ 19, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, थानेश्वर प्रसाद देशमुख आत्मज स्व. चिंताराम देशमुख, आयु-34 वर्ष, जाति-कुर्मी, स्थायी निवासी- ग्राम-टिकरी, पो.-अर्जुन्दा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला बालोद (छ. ग.), हाल निवास-कुर्मीबाड़ा (पत्ता गोदाम के पीछे), तुलसीपुर वार्ड क्र.16, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. मैं जिला पुलिस बल में आरक्षक के पद पर कार्यरत हूं तथा मेरा आरक्षक क्रमांक-233 है. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय अशासकीय दस्तावेजों तथा सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम थानेश्वर प्रसाद देशमुख आ. स्व. चिंताराम देशमुख अंकित है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम संदीप देशमुख आ. स्व. चिंताराम देशमुख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे संदीप देशमुख पिता स्व. चिंताराम देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
थानेश्वर प्रसाद देशमुख पिता- स्व. चिंताराम देशमुख स्थायी निवासी-ग्राम-टिकरी पोस्ट-अर्जुन्दा, तह.-गुण्डरदेही जिला-बालोद (छ. ग.) हाल निवास-कुर्मी बाड़ा (पत्ता गोदाम के पीछे) तुलसीपुर, वार्ड क्र.-16 जिला-राजनांदगांव	संदीप देशमुख पिता- स्व. चिंताराम देशमुख स्थायी निवासी-ग्राम-टिकरी पोस्ट-अर्जुन्दा, तह.-गुण्डरदेही जिला-बालोद (छ. ग.) हाल निवास-कुर्मी बाड़ा (पत्ता गोदाम के पीछे) तुलसीपुर, वार्ड क्र.-16 जिला-राजनांदगांव

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील कुमार पिता लक्ष्मी नारायण, आयु-22 वर्ष, निवासी- ब्लाक नं.-7 ए, सड़क नं.-10, सेक्टर-2, भिलाई नगर, थाना-कोतवाली, सेक्टर-6, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अंतिम वर्ष का छात्र हूं तथा मेरे समस्त शालेय रिकार्ड एवं मेरे पिता के भिलाई इस्पात संयंत्र के मेडिकल कार्ड, समस्त सर्विस रिकार्ड एवं राशन कार्ड में मेरा नाम सुनील पिता लक्ष्मीनारायण दर्ज है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम सुनील कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे सुनील कुमार पिता लक्ष्मीनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सुनील	सुनील कुमार
पिता- लक्ष्मीनारायण	पिता- लक्ष्मीनारायण
निवासी-ब्लाक नं.-7 ए	निवासी-ब्लाक नं.-7 ए
सड़क नं.-10	सड़क नं.-10
सेक्टर-2, भिलाई नगर	सेक्टर-2, भिलाई नगर
थाना-कोतवाली, सेक्टर-6	थाना-कोतवाली, सेक्टर-6
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला नारायणपुर

नारायणपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थायें अधिनियम की धारा 69 (1) के अन्तर्गत

क्रमांक/स. पं. ना./परिसमापन/2012/282.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/परि./12/221/दिनांक 23-08-2012 द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्थाओं को कारण बताओ पत्र सहकारी संस्थाएं अधिनियम की धारा 69 (3) के तहत प्रेषित कर अवगत कराया था कि अंकेक्षण टीप तथा अकार्यशील होने के कारण निर्वाचन संभव न होने की स्थिति में समितियां अकार्यशील एवं निष्क्रिय स्थिति में है तथा सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालक प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें एवं अन्यथा की स्थिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के अन्तर्गत किसी भी समिति द्वारा समिति के कारोबार प्रक्रिया को निरन्तर बनाये रखने हेतु साक्ष्य सहित प्रमाण पत्र अथवा कोई भी निवेदन प्रस्तुत नहीं करने से मैं इस बात से संतुष्ट हूं, कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

अतएव मैं, एल. एल. बृंझ, प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ.-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर निम्नलिखित बुनकर सहकारी समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करता हूं तथा क्रमांक 5 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 29-09-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की जा रही है.

क्र. (1)	समितियों का नाम (2)	पंजीयक क्रमांक/ दिनांक (3)	विकासखंड (4)	परिसमापक का नाम (5)
1.	मां नारी शक्ति बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, नारायणपुर.	548/23-08-12	नारायणपुर	श्री टी. आर. नागेश/ सविआ.

एल. एल. बृंझ,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, कबीरधाम छत्तीसगढ़

कवर्धा, दिनांक 5 जनवरी 2013

क्र./उपंक/परि./2012/911.— मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बाघामुड़ा, पंजीयन क्रमांक 3513 विकासखंड पंड़रिया जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ना किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं संस्था द्वारा संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन न कराया जाना इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 843 दिनांक 10-12-2012 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19-/15-02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बाघामुड़ा, पंजीयन क्रमांक 3513 को इस आदेश के दिनांक 21-09-2012 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. एम. नायक पद सहकारिता विस्तार अधिकारी को मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, बाघामुड़ा, पंजीयन क्र. 3513 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 05-01-2013 को जारी किया गया है.

एम. के. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक/उरदु/परि./2013/31.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरदु/परि./3476/दिनांक 22-12-95 के द्वारा श्री बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, कुर्सीपार ज़ोन 2 भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2401 के परिसमापक श्री एम. एस. दीवान सहकारी निरीक्षक दुर्ग को नियुक्त किया गया था श्री एम. एस. दीवान सहकारी निरीक्षक का पदोन्नति पश्चात् कार्यालय उप पंजीयक सहकारी समितियां राजनांदगांव में पदस्थ करने के फलस्वरूप श्री एच. एल. साहू सहकारी निरीक्षक दुर्ग को बालाजी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कुर्सीपार जोन 2 भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2401 का परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक/उरदु/परि./32.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उरदु/परि./864/दिनांक 8-5-96 के द्वारा तेलघानी सहकारी समिति मर्यादित, थनौद, पंजीयन क्रमांक 1743 के परिसमापक श्री एच. आर. चन्द्राकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पाटन को नियुक्त किया गया था श्री एच. आर. चन्द्राकर, स. वि. अ., पाटन का स्थानांतरण महासमुन्द हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती हेमलता देशमुख, स. वि. अ., दुर्ग को तेलघानी सहकारी समिति मार्यादित, थनौद, पं. क्र. 1743 का परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दुर्ग, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक/उरदु/परि./34.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 305/दिनांक 9-3-11 के द्वारा संगम गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, चरोदा, पंजीयन क्रमांक 109 के परिसमापक श्री ए. के. चौहान, उप अंकेक्षण दुर्ग का स्थानान्तरण बलौदा बाजार हो जाने के कारण उसके स्थान पर श्री ए. के सिंह, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया जा रहा है.

यह आदेश आज दिनांक 9-1-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कमल नारायण काण्डे,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक/1272/उपंरा/विधि/2012.— वस्तुत: सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, अंबागढ़ चौकी, विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी, पंजीयन क्रमांक 472, जिला राजनांदगांव द्वारा अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 की उपधारा (3) के अंतर्गत कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/959/उपंरा/परि./2012 राजनांदगांव दिनांक 25-09-2012 जारी करते हुए सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, अंबागढ़ चौकी, विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी, पंजीयन क्रमांक 472 जिला राजनांदगांव को यह निदेश दिया गया कि कारण बतायें कि आपकी संस्था पंजीयन दिनांक 20-09-2007 तथा संचालक मंडल के निर्वाचन दिनांक 03-03-2008 से निरंतर निष्क्रिय एवं अकार्यशील बनी हुई है और आपकी संस्था अपनी पंजीकृत उपविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है ? और पंजीयन हेतु निर्धारित शर्तों के पालन में आपकी संस्था अक्षम रही है जिसके परिणामस्वरूप आपकी संस्था को अस्तित्व में बनाए रखने का कोई कारण विद्यमान नहीं है ? आपकी संस्था में सदस्यों की संख्या दिनांक 31-03-2012 की स्थिति पर 101 है जबकि 31-03-2012 पर सदस्य संख्या 250 तक करना था पंजीयन की शर्त क्रमांक 7 के अनुसार संस्था का कार्य व्यवसाय रुपये 10.00 लाख तक करना था किन्तु दिनांक 31-03-2012 की स्थिति में संस्था का कार्य व्यवसाय शून्य रहा है ? संस्था के कार्यालय भवन तथा गोदाम भवन के लिए शासकीय भूमि शासन से प्राप्त नहीं की गयी तथा संस्था द्वारा कोई व्यवसाय नहीं किया गया ? संस्था के निरंतर निष्क्रिय एवं अकार्यशील रहने के कारण उसके अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जावें ? कारण बताओ के सूचना पत्र का जवाब श्री जितेन्द्र मेश्राम, अध्यक्ष, सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, अंबागढ़ चौकी, विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी, पंजीयन क्रमांक 472, जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 22-10-2012 को प्रस्तुत किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में अध्यक्ष महोदय ने यह तथ्य बताया है कि संस्था को जीवित रखने के लिए शासन से निरंतर कार्य देने हेतु पत्र व्यवहार किया गया किन्तु संस्था को शासन द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया. संस्था के सदस्य संख्या 101 है. तथा सदस्य संख्या बढ़ाने हेतु भागीरथ प्रयास किया गया किन्तु सदस्य संख्या 101 रही है. संस्था का कार्य/व्यवसाय 10.00 लाख रुपये की क्षमता का नहीं है. संस्था के कार्यालय भवन तथा गोदाम भवन के लिए शासकीय भूमि की मांग तहसीलदार अंबागढ़ चौकी से की गई किन्तु शासकीय भूमि अप्राप्त रही है. वस्तुत: संख्या अध्यक्ष सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, अंबागढ़ चौकी, विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी पंजीयन क्रमांक 472, जिला राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22-10-2012 से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में उक्त संस्था द्वारा पंजीयन एवं निर्वाचन के बाद पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है तथा पंजीयन हेतु निर्धारित किसी भी शर्तों का पालन उसके द्वारा नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संस्था के अंशधारी सदस्यों को संस्था से कोई लाभ नहीं है. संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं है.

अत: उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, अंबागढ़ चौकी, विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी, पंजीयन क्रमांक 472, जिला राजनांदगांव को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है और उसे परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ए/क) के विहित प्रावधानों के अधीन सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित, अंबागढ़ चौकी, विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी, पंजीयन क्रमांक 472, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. सी. देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को उक्त सोसायटी का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक एक माह के अंदर नियमानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 31-12-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.